



Neutral Citation No.- 2026:AHC:127917

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20710/2026

विशाल दुबे

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपरीत
पक्ष

आवेदक के वकील
विपक्षी पार्टी के वकील

: राजेश, रवि लाल गुप्ता
: जी ए

न्यायालय संख्या - 45

माननीय जिवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति।

- हमने आवेदक के विद्वान वकील और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें चंदौली पुलिस स्टेशन, जिला चंदौली में दर्ज मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20/60 के तहत केस अपराध संख्या 106/2026 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गलत इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने आवेदक और सह-आरोपी बब्बन सिंह के खिलाफ झूठी बरामदगी दिखाई है और आवेदक उस वाहन को चला रहा था जिसमें सीट के नीचे से 55.350 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 50 और 52-ए के अनिवार्य प्रावधान लागू होते हैं। एनडीपीएस अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है और नमूने भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के नियम 9, 10 और 11 के अनुसार नहीं लिए गए हैं। नमूनों को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है और कथित बरामदगी भी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में की गई है। यह

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

भी निवेदन किया जाता है कि कथित बरामद प्रतिबंधित सामग्री की एफएसएल रिपोर्ट अभी तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, जो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नियमों के नियम 14 का उल्लंघन है। आवेदक 17.03.2026 से जेल में बंद है और वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, बब्बन सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 11.5.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 15803/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। आवेदक दिनांक 17.03.2026 से जेल में बंद है।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है और उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि प्रतिबंधित पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा उस वाहन से बरामद की गई है, जिसमें आवेदक और सह-आरोपी यात्रा कर रहे थे और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 और 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया गया है तथा बीएनएसएस की धारा 105 का भी अनुपालन किया गया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, उक्त वाहन की सीट कवर के नीचे से 55.350 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसमें आवेदक और सह-आरोपी यात्रा कर रहे थे। यह भी निवेदन किया जाता है कि धारा 50 और 52-ए के अनिवार्य प्रावधान लागू होते हैं। एनडीपीएस अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है और नमूने भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के नियम 9, 10 और 11 के अनुसार नहीं लिए गए हैं। नमूनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया गया है और कथित बरामदगी भी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में की गई है। यह भी निवेदन किया जाता है कि कथित बरामद प्रतिबंधित सामग्री की एफएसएल रिपोर्ट अभी तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, जो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नियमों के नियम 14 का उल्लंघन है। आवेदक 17.03.2026 से जेल में बंद है।

6. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के साथ-साथ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान और नदीम अहमद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2025 लॉ सूट (एससी) 1134 (2025) आईएनसी 993) और भारत संघ बनाम शिव शंकर केसरी (2007) 7 एससीसी 798 के मामलों में दिए गए कानून को ध्यान में रखते हुए, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं। अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

7. उपरोक्त मामले में आरोपी विशाल दुबे को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक को इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करना होगा कि जब गवाह निचली अदालत में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्णय के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर राय के रूप में नहीं लिया जाएगा। निचली अदालत इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 जून, 2026

Translated, Corrected & Authenticated by me.

NIKHIL TANDON
A/N0339/2012

Translated version. Not for Legal Use.